

## अध्याय V: आंतरिक नियंत्रण तंत्र

### 5.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण नीति निरूपण और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए आवश्यक है। आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारी प्रणाली यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करती है कि आयकर विभाग द्वारा किए गए उपाय और कार्रवाई उनके द्वारा स्थापित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं। हमने इस अध्याय में मूल्यहास और परिशोधन की अनुमति से संबंधित आयकर विभाग के नियंत्रण मामलों को उजागर करने का प्रयास किया है।

आयकर विभाग में पिछले वर्ष में परिसम्पत्तियों के ब्लॉक में किए गए संवर्धन के संबंध में मूल्यहास के लिए निर्धारितियों के दावे की सत्यता की जांच करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

### 5.2 सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में किए गए संवर्धनों से संबंधित डाटा की अनुपलब्धता

अधिनियम की धारा 44 एबी में निर्धारिती से आय की विवरणी सहित लेखाकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6जी(2) के द्वारा फार्म सं. 3सीडी में कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, टीएआर के खण्ड 14(डी) में निर्धारिती से पिछले वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन हटाने के ब्यौरे अर्थात् खरीद की तारीख, वह तारीख जब इसे उपयोग के लिए रखा गया, उस पर प्राप्त की गई आर्थिक सहायता/अनुदान/प्रतिपूर्ति, मुद्रा विनिमय की दर में परिवर्तन आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। मालिकाना हक का सत्यापन और परिसम्पत्तियों का उपयोग मूल्यहास की अनुमति देने से पहले जांच किए जाने वाले महत्वपूर्ण कारक है।

अधिनियम की धारा 32(1) के अन्तर्गत आय की विवरणी सहित स्वामित्व अधिकार के ब्यौरे प्रस्तुत करने और परिसम्पत्तियों के उपयोग की आवश्यकता को परिसम्पत्तियों के ब्लॉक की अवधारणा को शुरू करने के साथ ही 01 अप्रैल 1988 से हटा दिया गया था। इसके अलावा, विवरणियों की अनिवार्य ई-फाइलिंग की वर्तमान प्रणाली में संवीक्षा निर्धारणों के लिए चयनित मामलों को छोड़कर स्वामित्व अधिकार के ब्यौरे और परिसम्पत्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में भी केवल

परिसम्पत्तियों के मूल ब्यौरें दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए बिना टीएआर में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

हमने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभागों में पाया कि 165 निर्धारितियों ने सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में ₹ 1,038.92 करोड़ के संवर्धन किए किन्तु किए गए संवर्धन की और 180 दिनों से अधिक/कम के लिए उपयोग हेतु रखी गई परिसम्पत्तियों की तारीख आदि जैसे सुसंगत ब्यौरों के साथ-साथ फार्म 3सीडी, खण्ड 14(डी) में इसे उजागर नहीं किया गया था, जो अधिग्रहण की गई परिसम्पत्तियों, सही ब्लॉक के अन्तर्गत उसके वर्गीकरण और निर्धारिती द्वारा वास्तविक रूप से वहन की गई लागत के निर्धारण पर पूर्ण/आधी दर पर मूल्यहास की स्वीकार्यता के संबंध में निर्धारिती के दावे की सटीकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है (बॉक्स 5.1 देखें)।

**बॉक्स 5.1 सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में किए गए संवर्धनों से संबंधित डॉटा की अनुपलब्धता पर निदर्शी मामले**

**क.** मध्य प्रदेश, इन्दौर प्रभाग में नि.व 11 के लिए **मै. शारदा सोल्वेन्ट लिमिटेड** ने ₹ 26.12 करोड़ के संवर्धन किए और अनियमित रूप से दावा किया और नए संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 3.58 करोड़ के मूल्यहास की अनुमति दी थी, उसके ब्यौरें यह कहते हुए निर्धारण के समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे कि इस पर तैयारी चल रही है।

**ख.** छत्तीसगढ़, बिलासपुर प्रभाग में **मै. मंगल स्पॉज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड** ने नि.व. 10 के लिए संगणना के अनुसार विधुत स्थैतिक, अवक्षेपक पर 100 प्रतिशत की दर पर ₹ 1.05 करोड़ का दावा किया और मूल्यहास की अनुमति प्राप्त की जबकि 3 सीडी रिपोर्ट के भाग अनुबंध III और तुलन पत्र की अनुसूची 'ई' में मूल्यहास की क्रमशः 50 प्रतिशत की दर पर ₹ 52.53 लाख और 15 प्रतिशत की दर पर ₹ 40.44 लाख गणना की गई थी। हमने पाया कि परिसम्पत्तियों की खरीद और उसके उपयोग से संबंधित कोई साक्ष्य निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। मूल्यहास के असंगत दावे के मद्देनजर और किसी साक्ष्य के अभाव में एओ को समस्त मूल्यहास को अस्वीकार कर देना चाहिए था।

कर्नाटक प्रभाग से संबंधित मामले के संबंध में आयकर विभाग ने बताया कि अपेक्षित ब्यौरों का निर्धारणों के दौरान अच्छी प्रकार से सत्यापन किया गया था। एक मामले में एओ ने इंगित किया कि निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित खाता बही, बिल और वाउचर प्रायः डॉटा की बड़ी मात्रा से गुजरते हैं जिससे सभी उपलब्ध डॉटा की जांच करना और धारण करना व्यावहारिक रूप से

संभव नहीं है और वैसे भी खाता बही/वाऊचरो को नमूना जांच के बाद निर्धारितियों को वापस कर दिया गया था। यह उत्तर इस कारण मान्य नहीं है कि यह दर्शाने के लिए कुछ भी फार्म 3सीडी से स्पष्ट या निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है कि मूल्यहास के दावों को अपेक्षित ब्यौरों की नमूना जांच के बाद सही प्रकार से विनियमित किया गया था।

अधिकतर मामलों को संक्षेप में संसाधित किया गया है और आयकर विभाग द्वारा संवीक्षा के लिए चयन नहीं किया गया। टीएआर यह दर्शाने के लिए हमेशा अभिलेख उपलब्ध या तैयार नहीं कराते कि अपेक्षित ब्यौरों को सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों के ब्लॉक में किए गए संवर्धनों के सत्यापन के लिए निर्धारण के समय पर मांगा जाएगा। आयकर विभाग में इस तथ्य का विचार किए बिना कि मामलों को संवीक्षा के लिए चयनित किया गया था या नहीं, परिसम्पत्तियों के ब्लॉकों में किए गए संवर्धनों के संबंध में मूल्यहास के लिए निर्धारितियों के दावे की सत्यता की जांच करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं हैं।

जहां निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित खाता बही, बिल और वाऊचर अनुरक्षित किए गए हैं उन मामलों सहित सभी निर्धारण मामले बहुत अधिक हैं वहां एओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित प्रारूप में टीएआर में अपेक्षित ब्यौरें समाविष्ट हैं और अभिलेख में लिए गए हैं। सीबीडीटी विवरणियों की ई-फाइलिंग के आशोधन करने पर विचार करे जिससे कि अपेक्षित सूचना/अभिलेख आयकर विभाग के पास उपलब्ध हो सके।

आयकर विभाग के पास इस संबंध में सितम्बर 2007 में जारी सीबीडीटी के विशेष अनुदेश के बावजूद भावी समंजन के लिए अग्रणीत अनवशोषित मूल्यहास की सही प्रास्थिति पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र/डॉटाबेस या अनुरक्षण रजिस्टर/अभिलेख नहीं हैं।

### 5.3 पूर्व वर्षों में अनवशोषित मूल्यहास से संबंधित अभिलेखों की नोन लिंकिंग/अनुपलब्धता

अधिनियम में अनुवर्ती निर्धारण वर्ष की आय के प्रति समंजन के लिए अनवशोषित मूल्यहास के अग्रणीत के लिए प्रावधान है। मामलों के संक्षेप में संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयकर विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा एएसटी मॉड्यूल अनवशोषित मूल्यहास के समंजन के लिए दावों की यर्थाथता को सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्षों से स्वतः डॉटा उठाने की व्यवस्था नहीं करता। संवीक्षा निर्धारणों के संबंध में एओज़ उनके पास

उपलब्ध अभिलेखों से निर्धारितियों द्वारा किए गए दावे की जांच करते हैं या बिना किसी सत्यापन के उसे स्वीकार करते हैं।

सीबीडीटी ने प्रत्यक्ष अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारणों के समय पर आवश्यक सत्यापन करने और पिछले निर्धारण अभिलेखों को लिंक करने के लिए एओज़ हेतु इस संबंध में अनुदेश<sup>20</sup> भी जारी किए जिसमें कि अग्रणीत हानियों और मूल्यहास के दावों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। लेखापरीक्षा द्वारा नियमित रूप से अनवशोषित मूल्यहास को अग्रणीत करने के समंजन की अनुमति देने में हुई गलतियों को इंगित किया जा रहा है जिससे ऐसी गलतियों फिर न हों।

हमने गुजरात और पश्चिम बंगाल प्रभागों में देखा कि एओज़ ने निर्धारितियों के दावों की प्रमाणिकता की जांच किए बिना 8 मामलों में अनवशोषित मूल्यहास के समंजन की अनुमति दी जिसके लिए निर्धारित कभी भी पात्र नहीं थे या अनवशोषित मूल्यहास के तुलनात्मक रूप से अधिक या कम राशि के लिए पात्र थे (बॉक्स 5.2 देखें)। इस संबंध में इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.11 को भी देखा जा सकता है।

**बॉक्स 5.2 पिछले वर्षों के अनवशोषित मूल्यहास से संबंधित अभिलेखों की नोन-लिंकिंग/अनुपलब्धता पर निदर्शी मामलें**

**क.** पश्चिम बंगाल, सीआईटी-1 कोलकाता प्रभाग में नि.व. 10 और नि.व.11 के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को संचरण और संवितरण कम्पनियों में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड की पुनर्संरचना के बाद जारी अधिसूचना<sup>21</sup> के अनुसार नि.व; 08 से अग्रणीत के लिए उपलब्ध ₹ 222 करोड़ की वास्तविक राशि के प्रति सुसंगत टीएआर के अनुसार भावी समंजन के लिए नि.व. 08 के संबंध में कुल ₹ 817.74 करोड़ के मूल्यहास को अग्रणीत करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, ₹ 595.74 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास के अग्रणीत के संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का अभाव था जिसमें ₹ 202.49 करोड़ का संभाव्य कर प्रभाव शामिल था।

**ख.** गुजरात, सीआईटी । वड़ोदरा प्रभाग में एओ ने यह कहते हुए नि.व. 11 के लिए ₹ 1.66 करोड़ के मूल्यहास हेतु मै. केमस्टार आग्नेनिक्स इंडिया लिमिटेड के दावे को अननुमत किया कि कम्पनी का प्रचालन, यूनिटों के प्रतिकूल अधिकार लेने की वजह से बैंक और जीआईआईसी के कारण पिछले 7 वर्षों से निलंबित रहा और इसलिए कम्पनी द्वारा कोई कारबार या विनिर्माण कार्यकलाप नहीं किया गया था।

<sup>20</sup> अनुदेश 2/2007 दिनांक 11 सितम्बर 2007

<sup>21</sup> पश्चिम बंगाल सरकार अधिसूचना 327-पीओ/ओ/III/3आर-29/2006 दिनांक 13 अक्टूबर 2008

ऐसा होने पर एओ ने तत्कालीन पिछले छः वर्षों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 6.94 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास के अग्रेनीत की अधिक अनुमति दी गई जिसमें ₹ 2.36 करोड़ का कम उद्ग्रहण शामिल था।

आयकर विभाग के अंदर अनवशोषित मूल्यहास के संबंध में किसी तंत्र/रजिस्टर/अभिलेख की उपलब्धता को जारी करने पर दिल्ली प्रभार के संबंध में 35 एओज़ ने इस तथ्य की पुष्टि की कि आयकर विभाग में निर्धारितियों द्वारा उनकी आय विवरणी में अनवशोषित मूल्यहास के दावे की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए कोई तंत्र/रजिस्टर/अभिलेख नहीं था।

आयकर विभाग में इस संबंध में सितम्बर 2007 में जारी किए गए सीबीडीटी के विशेष अनुदेश के बावजूद भावी समंजन के लिए अग्रेनीत अनवशोषित मूल्यहास की सही प्रास्थिति पर ध्यान रखने के लिए कोई तंत्र/डॉटाबेस या अनुरक्षण रजिस्टर/अभिलेख नहीं है। एओ ने या तो आय विवरणी में उपलब्ध सूचना या स्वयं निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछले अभिलेखों पर निर्भर किया है। कम्पनी के विलयन और अविलयन के मामलों में अनवशोषित मूल्यहास के संबंध में स्थिति समान है। आयकर विभाग में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपनी ई-विवरणी या एएसटी मोड्यूल में पिछले वर्षों से संबंधित अनवशोषित मूल्यहास पर डॉटा को विधिमान्य करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

आयकर विभाग कम्पनियों के विलयन और अविलयन के मामलों सहित प्रत्येक निर्धारिती के संबंध में भावी समंजन के लिए अनवशोषित मूल्यहास के अग्रेनीत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा जोकि एओ के स्तर पर पिछले वर्षों से संबंधित अनवशोषित मूल्यहास के अग्रेनीत और समंजन में त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए समय-समय पर उनके प्रभावों के निर्धारण और समीक्षा में सहायता करेगा। इसे प्राप्त किया जा सकता है यदि आयकर विभाग निर्धारिती के अनवशोषित मूल्यहास या उपलब्ध हानि के संबंध में डॉटा को रखने और उसके अनुरक्षण के लिए आयकर विभाग प्रणाली में निर्धारितियों के व्यक्तिगत चालू खाता बही (इरला) या प्रोफाइल में एक सैक्शन शुरू करे जिसे चालू नि.व. में अवधारित हानि से जोड़ा जा सके जिससे कि डॉटा को वास्तविक समय आधार पर अद्यतित किया जा सके और अनवशोषित मूल्यहास को ठीक प्रकार से समंजन की अनुमति की जा सके।

आयकर विभाग वर्तमान निर्धारण आदेश के अनुसार वर्षवार अनवशोषित मूल्यहास निर्धारण के विवरण प्राप्त करने को सभी एओज़ के लिए इसे

अनिवार्य बनाएगा और इसे निर्धारण को अंतिम रूप देते समय उचित सत्यापन के बाद निर्धारण आदेश का भाग बनाएगा।

आयकर विभाग के पास मूल्यहास की अनुमति देने के उद्देश्य और उस पर अनवशोषित मूल्यहास के समंजन के लिए किए जाने वाले डब्ल्यूडीवी की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावकारी तंत्र नहीं है। इसके अभाव में एओज़ ने डब्ल्यूडीवी को आगे बढ़ाने में गलतियां की।

#### 5.4 अवलेखित मूल्य के सत्यापन की आवश्यकता

परिसम्पत्तियों के किसी ब्लॉक के मामले में निर्धारित दर पर मूल्यहास का मूल्य अंतिम समापन (डब्ल्यूडीवी) पर स्वीकार्य है। पिछले वर्ष से पहले अधिग्रहित परिसम्पत्तियों के मामले में समापन डब्ल्यूडीवी का तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारिती को वास्तविक रूप से अनुमत किए गए सभी मूल्यहास से कम करके उसकी वास्तविक लागत है जो स्वाभाविक रूप से अगले/चालू वर्ष और आगे के लिए परिसम्पत्ति के उस ब्लॉक का पारम्भिक डब्ल्यूडीवी होगा। फार्म 3सीडी में टीएआर में दिए गए मूल्यहास विवरण संशोधन या अपील प्रभाव आदि के कारण डब्ल्यूडीवी में परिवर्तन का संज्ञान नहीं लेते। इसके अलावा, एओज़ के लिए पिछले वर्षों में मूल्यहास विवरण प्राप्त करना और पिछले वर्षों में मूल्यहास की अनुमति और अननुमति पर विचार करते हुए डब्ल्यूडीवी को सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है।

हमने आंध्रप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छः मामलों में डब्ल्यूडीवी के अग्रणीत में त्रुटियां देखीं। इस संबंध में इस रिपोर्ट का पैराग्राफ 3.7 भी देखें।

आयकर विभाग में मूल्यहास की अनुमति के प्रयोजन या उन अनवशोषित मूल्यहास के समंजन के प्रयोजन हेतु डब्ल्यूडीवी की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावकारी तंत्र नहीं है।

परिसम्पत्तियों के ब्लॉक के अवलेखित मूल्य की सटीकता का सत्यापन करने और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावकारी तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

## सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि

- क. सीबीडीटी को विवरणियों की ई-फाईलिंग के आशोधन पर विचार करना चाहिए जिससे कि सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में किए गए संवर्धनों से संबंधित सूचना निर्धारण के समय पर एओज़ के पास उपलब्ध हैं।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि कारबार आय वाले निर्धारितियों की आय की विवरणी में (आईटीआर-4,5 और 6) कारबार से आय को ऐसी विवरणियों की अनुसूची बीपी में संगणित किया जाता है। अनुसूची बीपी की मद सं. 12 अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत मूल्यहास के कारण कटौती के लिए अनुमति देती है। अधिनियम के अनुसार ऐसे मूल्यहास की संगणना में विवरणी की अलग अनुसूचियों डीपीएम (संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास), डीओए (दूसरी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास) और डीईपी (परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास का सार) का प्रावधान किया गया है। परिसम्पत्तियों के ब्लॉक के अन्तर्गत अनुसूची डीपीएम और अनुसूची डीओए में 180 दिनों या अधिक की अवधि के लिए (दोनों अनुसूचियों में कॉलम 4) तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के संवर्धन के लिए और मूल्यहास की संगणना के प्रयोजन के लिए 180 दिनों से कम अवधि के लिए अचल परिसम्पत्तियों के संवर्धन के लिए (दोनों अनुसूचितियों से कॉलम 7) अलग कॉलम है। इस प्रकार, पिछले वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में किए गए संवर्धन के संबंध में सूचना को अलग से परिसम्पत्ति के प्रत्येक ब्लॉक के लिए आय की विवरणियों में विधिवत सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षायोग्य मामलों के लिए सनदी लेखाकार द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संवर्धन यदि कोई भी पृथक परिसम्पत्ति स्तर पर हो, सहित परिसम्पत्तियों की विस्तृत अनुसूची है। ये लेखापरीक्षा रिपोर्ट इ-फाइल्ड भी हैं और एओ के पास उपलब्ध हैं।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि इ-फाईलिंग में अनवशोषित मूल्यहास के विवरण को सम्मिलित करने के बावजूद निर्धारणों में गलतियां अभी जारी हैं। मंत्रालय भविष्य में गलतियों को कम करने के लिए प्रयास करेगा।

मंत्रालय ने अपने पिछले कथन को दोहराते हुए कहा (जून 2014) कि गलती रहित निर्धारण हेतु वार्षिक केंद्रीय योजना दस्तावेज में की गई कार्रवाई एओज द्वारा वचनबद्ध गलतियों को कम/न्यूनतम करेंगे।

ख. सीबीडीटी वर्षवार अनशोषित मूल्यहास निर्धारण के विवरण वर्तमान निर्धारण आदेश के अनुसार प्राप्त करने को सभी एओज के लिए अनिवार्य बनाएगा और निर्धारण के अन्तिम रूप देने के समय पर उचित सत्यापन के बाद निर्धारण आदेश का इसे एक भाग बनाएगा।

ग. सीबीडीटी परिसम्पत्तियों के ब्लॉक के अवलेखित मूल्य की सटीकता का सत्यापन और उसे सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगा।

उपरोक्त ख और ग सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि विस्तृत संवीक्षा के अध्यधीन मामलों में, एओज से सभी सुसंगत मामलों की गहराई में जांच करना अपेक्षित है जिसका फ्रेम किए जा रहे निर्धारण पर प्रभाव है अनवशोषित मूल्यहास के उचित समंजन की अनुमति देते हुए पूर्व निर्धारण वर्ष से अग्रणीत होने या अनावशोषित मूल्यहास का सही मूल्य निकालना महत्वपूर्ण मामले हैं जिसकी एओ द्वारा जांच करना आवश्यक है। इस संबंध में, एओ को करदाताओं के दस्तावेजों को भेजना अपेक्षित है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सही आकड़ों को निकालने हेतु विभाग में अभिलेखों को अनुरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, फ्रेम किए जा रहे निर्धारण पर्यवेक्षण प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा और निरीक्षण (सभी मामलों में नहीं) का विषय है। उन मामलों में, जहां एओ की ओर से चूकों के कारण कोई राजस्व हानि देखी गई है, वहाँ अधिनिमयम के प्रावधानों के अनुसार उपचारात्मक उपाय राजस्व हित कि सुरक्षा के लिए किए गए हैं। इसके अलावा, सीबीडीटी भी लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से 'शून्य गलती निर्धारण' को पारित करने पर बार-बार जोर दे रही है। इसलिए, चूंकि वर्तमान तंत्र काफी संतोषजनक है, इसलिए किसी विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।



लेखापरीक्षा का मत है कि सीबीडीटी द्वारा जारी अनुदेश अभी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करते क्योंकि मूल्यहास की अनुमति में त्रुटियां अभी जारी हैं। लेखापरीक्षा उचित सत्यापन के बाद अग्रेनीत अवशोषित मूल्यहास तथा परिसम्पत्तियों के ब्लॉक के अवलिखित मूल्य की एक विवरणी अनिवार्यतः नवीनतम निर्धारण आदेश का अंग बनाने के लिए अपने पक्ष की पुनरावृत्ति करता है। इसे प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की जांच सूची में भी शामिल किया जा सकता है।



(मनीष कुमार)

नई दिल्ली

दिनांक: 30 जुलाई 2014

प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित



(शाशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

दिनांक: 30 जुलाई 2014

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक